① प्रधानमन्त्री

ब्रिटेन मॉडल पर भारतीय संसदीय व्यवस्था की स्थापना की गई। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् को वास्तविक कार्यपालिका बनाया गया प्रधानमन्त्री को अपनी मन्त्रिपरिषद् के चयन का अधिकार प्रदान किया गया। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् संसद के प्रति उत्तरदायी है, उपयुक्त व्यवस्था में मन्त्रिपरिषद् महत्वपूर्ण है ~~प्रधानमन्त्री~~ प्रधानमन्त्री। लास्की ने 'पार्लियामेण्टरी गवर्नमेंट इन इंगलैण्ड' में लिखा है कि 'मन्त्रिपरिषद् के निर्माण का वह केन्द्र बिन्दु है मन्त्रिपरिषद् के जीवन का वह केन्द्र बिन्दु है और मन्त्रिपरिषद् की मृत्यु का केन्द्र बिन्दु है।' क्रासमैन के अनुसार 'हिटलर महायुद्ध के पश्चात् के वर्षों में मन्त्रिपरिषद् शासन प्रणाली प्रधानमन्त्री शासन प्रणाली के परिवर्तित हो गई है'

भारत के प्रधानमन्त्री के ऊपर उपयुक्त बातें इसलिए लागू होती हैं क्योंकि हमारी व्यवस्था भी ब्रिटेन व्यवस्था होती है। भारतीय प्रधानमन्त्री के विषय में यह आरोप लगाया जाता रहा है प्रधानमन्त्री तानाशाह होता जा रहा है जिसके मन्त्रिमण्डल सरकार प्रधानमन्त्री सरकार में बदलती जा रही है।

यह आरोप शायद इसलिए लगाया जाता है क्योंकि भारत में स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् प्रधानमन्त्री मुख्य प्रशासक, प्रमुख नीति निर्माण, मुख्य राजनीतिक एवं दल निर्माता के रूप में प्रस्तुत हुआ है। प्रधानमन्त्री के पद पर प्रभावशाली व्यक्तित्व के धनी व्यक्ति रहे हैं। जनता ने प्रधानमन्त्री के व्यक्तित्व के प्रभाव से लोक-सभा चुनावों के परिणाम दिए हैं। इस प्रकार इन्हें

(2)

अतिरिक्त जनता की अपेक्षाएँ भी प्रधानमन्त्री से बढ़ी है। जनता प्रधानमन्त्री को राष्ट्र का नेता एवं सर्वोपरि नेतृत्व मानती है। इसके साथ ही प्रधानमन्त्री की शक्तियों में वृद्धि होती रही है।

प्रधानमन्त्री को तानाशाही इसलिए कहा जाता है कि भारत में अधिकांश समय तक कांग्रेस दल का संसद में बहुमत रहा साथ ही नेहरू परिवार का वर्चस्व भी बना रहा। उस दौरान PM ने जो चाहा वह मन्त्रिमण्डल से पारित कराया तथा कानून बनवाया। इसके अतिरिक्त जहाँ भी राज्यों में उनके दल की सरकारें रहीं उनके कार्यकलाप, मुख्यमन्त्री के चयन, राज्यपालों की नियुक्ति आदि से उन्हें अपने दल के अध्यक्ष के रूप में प्रभावित किया। स्वाभाविक अपने व्यक्तित्व के प्रभाव के कारण श्रीमती इंदिरा गाँधी के समय यह प्रवृत्ति अत्यधिक बढ़ी। आपात स्थिति के समय वह पूर्ण तानाशाह बन गई।

जनता शासन के अल्पशासन में तथा उनके बाद गैर कांग्रेस सरकार प्रधानमन्त्रियों ने तानाशाह बनने का प्रयास नहीं किया या कहा जाए कि अनुकूल परिस्थितियाँ प्राप्त नहीं हुई।

विद्वानों का मत है कि भारत में प्रधानमन्त्री अनेक प्रकार नियन्त्रणों में कार्य करता है अतः यह कहना उचित नहीं है कि प्रधानमन्त्री व्यवस्था स्थापित होती जा रही है। प्रधानमन्त्री के ऊपर लिखित संविधान, संघ व्यवस्था संसदीय नियन्त्रण, दलीय नियन्त्रण एवं जनमत का नियन्त्रण सदैव बना रहता है

(3)

बिल्कुल वह निरंकुश नहीं हो पाता फिर भी आइवर जैनिंग्स के अनुसार, "प्रधानमन्त्री के पद की स्थिति अवश्य वैसी होगी जो उस पद को ग्रहण करने वाला व्यक्ति बनाना चाहेगा और अन्य मन्त्री उसे बनने देंगे"।

वास्तविक स्थिति! — बीसवीं सदी के अन्तिम दशक से आर्थिक आर्थिक सुधारों के बाद प्रधानमन्त्री की भूमिका को दो प्रकार से प्रभावित हुई → पहला ग्लोबलाइजेशन के कारण लोक कल्याणकारी नीतियों में परिवर्तन की आवश्यकता और सब्सिडी में कटौती करना जो अलोकप्रिय परिस्थिति बना रही थी तथा शासन का तीव्र आर्थिक विकास के लिए कॉरपोरेट विश्व को रियायतें देने की प्रवृत्ति की ओर झुकाव।
→ दूसरा गठबन्धन के कारण क्षेत्रीय मांगो एवं दलों के दबाव का सामना करने की चुनौती आयी। ऐसी परिस्थिति में केन्द्रीय राजनीतिक शक्ति विकेन्द्रित हो गई और प्रधान मंत्री की स्थिति उतनी सशक्त नहीं रही जैसी कि श्रीमती इंदिरा गाँधी के काल में थी। 1990 का दशक अत्यन्त अस्थिरता वाला काल था उदाहरणार्थ 1996 में अटल जी की सरकार मात्र 13 दिन चल पायी। पुनः 1998 में बाजपेयी के नेतृत्व में पुनः बनी एन. डी. ए. की सरकार 22 दलों का गठबन्धन था। 1999 में भा. ज. पा. की स्थिति में सुधार आया फिर भी क्षेत्रीय दलों के साथ गठबन्धन के दंश को उन्हें झेलना पड़ा। फल यह निकला कि भा. ज. पा. अपने एजेण्डा को लागू नहीं कर सकी स्वर्ण चतुर्भुज सड़क योजना जैसी महत्वाकांक्षी योजना के बावजूद 2004 का चुनाव नहीं जीत सकी। 2004 में कांग्रेस की गठबन्धन सरकार क्षेत्रीय दलों के दबाव में रही और अपनी नीतियाँ लागू नहीं कर सकी। फिर भी मनरेगा, सूचना का अधिकार तथा शिक्षा का अधिकार जैसे महत्वपूर्ण कदम उठाए जिसके चलते 2009 में यह पुनः सत्ता में आयी।

2014 में भारत में गठबन्धन राजनीति का अन्त तो नहीं हुआ परन्तु भा. ज. पा. को सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की नीति के कारण लोक सभा में पूर्ण बहुमत आया। फलस्वरूप 2014 के बाद PM काफी मजबूत स्थिति में आ गए। और अन्य कठोर निर्णय लेने में सफल रहे। गठबंधन के क्षेत्रीय दलों का प्रभाव सीमित सा हो गया। 2019 में स्थिति और मजबूत हो गयी। आज भारत का PM अत्यन्त सशक्त हो चुका है। और इसी कारण सभी लोकतान्त्रिक संस्थाओं पर PM का दबदबा रहा तथा नोटबन्दी, जी. एस. टी., धारा 370 का एकीकरण जैसे कठोर निर्णय लेने में सक्षम है। Prof. M. P. Singh ने लिखा है कि वर्तमान स्थिति में मन्त्रिमण्डल के सदस्य भी उनके सामने नतमस्तक रहते हैं।